(67)

संख्या ९५१ /XVII(1)/11-19 (1)/2009.

प्रेषक,

एस0 राजू,
प्रमुख सचिव एवं आयुक्त,
उत्तराखण्ड शासन.

सेवा में,

निदेशक,
जनजाति कल्याण,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

समाज कल्याण अनुभाग–1 देहरादून, दिनांक : 11 ~~अक्टूबर~~ नवम्बर, 2011

विषयः अटल आवास योजना हेतु पूर्व में निर्गत शासनादेश में संशोधन किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक, मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अनुसूचित जनजाति अटल आवास योजना के शासनादेश संख्या 214/XVII(1)/2009–19(01)/2009 दिनांक 24 फरवरी, 2009 के संलग्नक के प्रस्तर–6" लाभार्थी चयन एवं स्वीकृति प्रक्रिया में निम्नानुसार संशोधित प्रक्रिया" को प्रतिस्थापित किया जाय।

1. समाज कल्याण विभाग द्वारा प्रत्येक जनपद को वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्यों का आवंटन किया जायेगा

2. जिला समाज कल्याण अधिकारी जनपद के विभिन्न विकास खण्डों में निवासरत अनुसूचित जाति जनसंख्या के अनुपात में वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्यों का निर्धारण अपने स्तर पर करेंगे।

3. खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड अन्तर्गत न्याय पंचायतवार वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्यों का आवंटन न्याय पंचायतों में निवासरत SC/ST जनसंख्या के अनुपात के आधार पर करेंगे।

4. न्याय पंचायत के अन्तर्गत आच्छादित ग्रामों से प्राप्त आवेदन पत्रों का अंकन/ पंजीकरण ग्रामवार, तिथिवार किया जायेगा।

5. प्रत्येक न्याय पंचायत में एक वर्ष में प्रथम चरण में यह प्रयास किया जायेगा कि प्रत्येक ग्राम में कम से कम 2 लाभार्थियों को भवन हेतु अनुदान प्राप्त हो सके। भौतिक लक्ष्य सीमित होने पर जो गांव छूट जायेंगे उन्हें अनुवर्ती वर्ष में प्राथमिकता में लिया जायेगा। अनुवर्ती वर्ष में पूर्ववर्ती वर्ष में लाभान्वित उन ग्रामों के लाभार्थियों को आवास स्वीकृत नहीं किया जा सकेगा, जब तक कि न्याय पंचायत के अन्तर्गत स्थित समस्त ग्रामों को प्रथम चरण में लाभान्वित न कर दिया जाय। एक बार सभी ग्रामों को लाभ मिलने के उपरान्त पुनः उसी क्रम में ग्रामों को चयन किया जायेगा।

6. यह स्मरणीय है कि ग्राम विशेष में लाभार्थियों का चयन पात्र पाये जाने पर आवेदन पत्र प्राप्ति की वरिष्ठता के आधार पर ही किया जायेगा।

क्रमशः.....2पर

7. यदि किसी वर्ष विशेष में किसी ग्राम से यदि कोई आवेदन प्राप्त नहीं होता अथवा सभी आवेदन पत्र अपात्र पाये जाते है तब अनुवर्ती वर्ष में इन ग्रामों को असेवित की श्रेणी में मानते हुए प्राथमिकता में लिया जायेगा।

8. चयन की प्रक्रिया विकास खण्ड पर ही सम्पादित की जायेगी ताकि ग्राम विकास की आवास योजना से लाभान्वित व्यक्तियों की पहचान की जा सकें।

9. विकास खण्ड स्तर पर ही निर्धारित लक्ष्यों के सापेक्ष चयन कर चयनित सूची जिला समाज कल्याण अधिकारी कार्यालय को प्रेषित की जायेगी। जिसे समाज कल्याण अधिकारी द्वारा मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति के माध्यम से स्वीकृत करायी जायेगी।

10. सूची का अनुमोदन जनपद स्तर पर मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति के द्वारा किया जायेगा। जिला विकास अधिकारी इस चयन समिति के सदस्य तथा जिला समाज कल्याण अधिकारी संयोजक होगे।

11. आवेदन पत्र विकास खण्ड कार्यालय तथा जिला समाज कल्याण अधिकारी के कार्यालय से निःशुल्क प्राप्त किये जा सकते हैं।

भवदीय,

(एस0 राजू)
प्रमुख सचिव एवं आयुक्त,

संख्या : ९५९/XVII(1)/11–19(1)/2009 तद्‌दिनांक।

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड सरकार।
2. निजी सचिव, मा0 मंत्री समाज कल्याण, उत्तराखण्ड सरकार।
3. महालेखाकार, उत्तरांखण्ड, देहरादून।
4. प्रमुख सचिव, वित्त, उत्तराखण्ड शासन।
5. सचिव, नियोजन, उत्तरांखण्ड शासन।
6. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
6. समस्त जिला समाज कल्याण अधिकारी, उत्तराखण्ड।
7. निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून।
8. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(एस.एस.वल्दिया)
उप सचिव ।